(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
नाथूराम	बनाम्	सोहनी

मुकदमा नं.– 62 /2020

किस्म प्रकरण :

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
07.05.21	रीडर/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 25.05.21 को पेश करें।	
25.5.21	रीडर/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 11.6.21 को पेश करें।	
11.6.21	रीडर/पक्षकारान के अधिवक्ता कोविड। पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 27.7.21 को पेश करें।	
27.7.21	पत्रावली पेश हुई। P/D रिपोर्ट अप्राप्त है इन्तजार होकर निमित्त [illegible] 05.08.21 को पेश हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	[illegible]
5.8.21	पत्रावली पेश हुई। P/D रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसपर वकुलाम को बुलाया गया, वकुलाय ने [illegible] सेवा स्वीकार किया अतः [illegible] वादीगण के वाद माफिक P/D [illegible] डिक्री किया जाता है। [illegible] के [illegible] आ० मि० है। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	

Scanned with CamScanner

कार्यालय तहसीलदार (भू०अ०) जायल

---xxx---

क्रमांक/भू०अ०/प्राथमिक डिक्री/2021/293० दिनांक 4-8-2021

प्रेषिति :- श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महो०
जायल

विषय :- प्राथमिक डिक्री का विभाजन प्रस्ताव भेजने बाबत्

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके न्यायालय के मुकदमा नं० 62/2020 अनवान नाथूराम बनाम सोहनी वगैरह में जारी प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में दिनांक 01-08-2021 को विभाजन प्रस्ताव तैयार होकर इस कार्यालय में जमा हुआ। अत: इस पत्र के संलग्न मु०नं० 62/2020 में जारी प्राथमिक डिक्री आदेश का विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में उचित कार्यवाही के लिये बाबत् श्रीमान जी की सेवामें सादर प्रेषित है,

संलग्न :- मु०नं० 62/2020 में जारी प्राथमिक डिक्री का विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में।

तहसीलदार (भू०अ०)
जायल

Scanned with CamScanner

मौका रिपोर्ट

(विभाजन प्रस्ताव)

मैं सीताराम फरड़ोदा भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त रोल कार्यालय तहसीलदार जायल के आदेश क्रमांक/भू.अ./प्रा.डिक्री/2021/1420 दिनांक 05/04/2021 की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 01-08-2021 समय 2.00 PM बजे आराजी खसरा नम्बर 193, 232, 233/1, 339, 63 ग्राम डिडिया कलां पटवार मण्डल डिडियाकलां पर श्री रवीन्द्र पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक 43 तथा 44 दिनांक 29-07-2021 द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवाई गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे।

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
1.	नाथुराम	हरीराम	जाट	प्रार्थी
2.	मदनराम	हरीराम	जाट	प्रार्थी
3.	हड़मानराम	हरीराम	जाट	प्रार्थी
4.	सोहनी	हरीराम	जाट	अप्रार्थी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)	दिशा
1.	नाथूराम पुत्र हरीराम जाति जाट सा. डिडियाकलां खातेदार	63 339	2.3067 0.6232	सम्पूर्ण पूर्वीभाग नजरी नक्शानुसार
2.	मदनराम पुत्र हरीराम जाति जाट सा. डिडिया कलां खातेदार	193 339	2.1691 0.7608	सम्पूर्ण पश्चिम नजरी नक्शानुसार
3.	हड़मानराम पुत्र हरीराम जाति जाट सा. डिडिया कलां खातेदार	232 233/1	1.0117 2.2258	सम्पूर्ण सम्पूर्ण

N नजरी नक्शा।

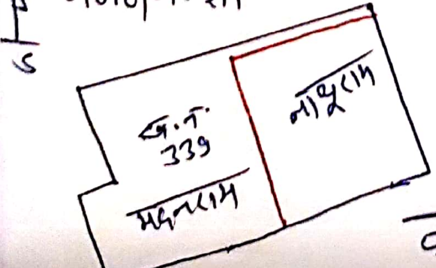

सोहनी

नाथूराम

हड़मानराम

अं. मदनराम

(हस्ताक्षर) ILR-रोल 01-08-2021

(हस्ताक्षर) प. डिडिया

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/प्रतिवादी
1.	नाथूराम	हरीराम	जाट	नाथूराम	वादी
2.	मदनराम	हरीराम	जाट	उ.नि. मदनराम	वादी
3.	हड़मानराम	हरीराम	जाट	हड़मानराम	वादी
4.	सोहनी	हरीराम	जाट	सोहनी	प्रतिवादी

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया।

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	वादी/प्रतिवादी
NIL				

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये।

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/Mo.No.
1.	रामनिवास पुत्र रामदेव जाट नि. डिडियाकलां		30 वर्ष	जाट	7300334500 रामनिवास
2.	परसाराम पुत्र सांवलराम जाट नि. डिडियाकलां		36 वर्ष		9660372311 परसाराम

इस प्रकार आज दिनांक 01-08-2021 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

हस्ताक्षर
पटवारी

1-08-2021
हस्ताक्षर
भू. अ. निरीक्षक
वृत्त रोल

हस्ताक्षर
नो. तह.

हस्ताक्षर
पटवारी (स्टाम्प)
हल्का

राजस्व वाद संख्या 62—2020
नाथुराम वगैरह बनाम् सोहनी वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी :— रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 62/2020

वादीगण—
1. नाथूराम पुत्र हरीराम
2. मदनराम पुत्र हरीराम
3. हड़मानराम पुत्र हरीराम

जातियान— जाट निवासीगण— डिडिया कलां ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण —
1. सोहनी पुत्री हरीराम जाति जाट निवासी डिडिया कलां तहसील जायल (नागौर)
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति :—
1. श्री शैलेन्द्र कालवी अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री जीयाराम गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 04/8/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवंतथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा डिडिया कलां तहसील जायल में खेत खसरा नं. 193 रकबा 2.1691 हैक्टर, खसरा नं. 232 रकबा 1.0117 हैक्टर, खेत खसरा नं 233/1 रकबा 2.2258 हैक्टर, खेत खसरा नं 339 रकबा 1.3840 हैक्टर, खेत खसरा नं 63 रकबा 2.3067 हैक्टर रहती चली आई है। पत्रावली में संलग्न खातौनी 2073—2076 खाता संख्या 151 में वादीगण व प्रतिवादीगण की माताजी फौत हो चुकी है जिनके मृत्यू प्रमाण पत्र संलग्न है व उनके कायम मुकाम वादीगण व प्रतिवादीगण है जिनका ग्राम पंचायत डिडियाकलां द्वारा वारिसान प्रमाण पत्र भी संलग्न है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा घरेलू तौर पर वाद पत्र के पैरा संख्या 2 के अनुसार मौखिक तौर से कर सिंव—नींव अलग—अलग कर ली। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। वादी नथूराम के खेत खसरा संख्या 63 रकबा 2.3067 हैक्टर पुरा, खसरा नंबर 339 रकबा 1.3840 हैक्टर में से 0.6232 पूर्वी तरफ हिस्सा, वादी मदनराम के खेत खसरा नं. 193 रकबा 2.1691 हैक्टर पुरा व खसरा नंबर 339 रकबा 1.3840 हैक्टर में से 0.7608 पश्चिमी भाग , वादी हड़मानराम के बंट में खेत खसरा नंबर 232 रकबा 1.0117 हैक्टर, खेत खसरा नं 233/1 रकबा 2.2258 हैक्टर पुरा रखा गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 विवाहित है अपने ससुराल में निवासरत है जिसके संयुक्त बंट में कोई भूमि नहीं हैं। वादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग—अलग सींव—नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद

04/8/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण की ओर से श्री शैलेन्द्र कालवी ने उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा पेश किया व पहचान की। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पहचान अधिवक्ता श्री जीयाराम गोदारा द्वारा की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से शपथ पत्र व ईकाबाली जबाब पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र व ईकबाली जबाब पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम डिडिया कलां तहसील—जायल सम्वत् 2073—2076 खाता संख्या 151, वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की माताजी का मृत्यू प्रमाण पत्र पत्रावली सलंग्न है। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पत्रावली में जरिये शपथ पत्र एवं ईकबाली जबाब को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादपत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 ने हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 08.06.2020 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामें पर मनन किया गया। प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है जो संयोजित किये गये है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक—पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने—अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग—अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 08.06.2020 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ने

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में संयोजित पक्षकार मौजा डिडिया कलां के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 63, 193, 232 व 233/1 की भूमि को यथावत तथा मुतदाविया शेष खसरा 339 का माफिक राजीनामा अनुसार बंट चाहा है जो पूर्णरूपेण विभाजन नहीं है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 339 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 12.03.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 12.03.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 2930 दिनांक 04.08.2021 प्राप्त हुआ, जिस पर वकुलाय को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् मेंवादीगण व प्रतिवादी नाथुराम,मदनराम,हड़मानराम,सोहनी ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि अन्य मौतबिरान व्यक्ति रामनिवास पुत्र रामदेव, परसाराम पुत्र सांवताराम के हस्ताक्षर से भी होती है। बंटवारा प्रस्ताव में प्रतिवादी संख्या 1 सोहनी पुत्र हरीराम के हकबंट व खातेदारी में मुतदाविया खेतायों की भूमि में हिस्सा नही रखा है, जिससे मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्से की भूमिका नियमानुसार स्टाम्प शुल्क लिया जाना न्यायसंगत हैं इसलिये हम वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है चूंकि मौजा डिडिया कल्ला तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरानं. 193,232,233/1,339,63 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 जमाबंदी अनुसार सहखातेदार घोषित होने से तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

अतः वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर जाता है, मौजा डिडिया कल्ला तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरानं. 193,232,233/1,339,63 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या संयोजित/सहखातेदार घोषित होने के कारण एवं तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 2930 दिनांक 04.08.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 नाथूराम के खेत खसरा संख्या 63 रकबा 2.3067 हैक्टर पुरा, खसरा नंबर 339 रकबा 1.3840 हैक्टर में से 0.6232 पूर्वी तरफ हिस्सा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 मदनराम के खेत खसरा नं. 193 रकबा 2.1691 हैक्टर पुरा व खसरा नंबर 339 रकबा 1.3840 हैक्टर में से 0.7608 पश्चिमी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद संख्या 62–2020
नाथुराम वगैरह वनाम् सोहनी वगैरह

3. वादी हड़मानराम के बंट में खेत खसरा नंबर 232 रकबा 1.0117 हैक्टर, खेत खसरा नं 233/1 रकबा 2.2258 हैक्टर पुरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादीगण संख्या 1 विवाहित है अपने ससुराल में निवासरत है जिसके संयुक्त बंट में कोई भूमि नहीं है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्से की भूमिका नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कराने पर मौजा डिडिया कल्ला तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरानं. 193,232,233/1,339,63 के संबंध में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक ...04/8/2021... को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

04/8/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद संख्या 62–2020
नाथुराम वगैरह बनाम् सोहनी वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 62/2020

वादीगण–
1. नाथूराम पुत्र हरीराम
2. मदनराम पुत्र हरीराम
3. हड़मानराम पुत्र हरीराम,जातियान–जाट निवासीगण–डिडियाकलां,तहसील–जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –
1. सोहनी पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी डिडिया कलां तहसील जायल (नागौर)
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–
1. श्री शैलेन्द्र कालवी अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री जीयाराम गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शैलेन्द्र कालवी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी श्री जियाराम गोदारा व प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर जाता है, मौजा डिडिया कल्ला तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरानं. 193,232,233/1,339,63 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या संयोजित/सहखातेदार घोषित हो रखे है अतः तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 2930 दिनांक 04.08.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 नाथूराम के खेत खसरा संख्या 63 रकबा 2.3067 हैक्टर पुरा, खसरा नंबर 339 रकबा 1.3840 हैक्टर में से 0.6232 पूर्वी तरफ हिस्सा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 मदनराम के खेत खसरा नं. 193 रकबा 2.1691 हैक्टर पुरा व खसरा नंबर 339 रकबा 1.3840 हैक्टर में से 0.7608 पश्चिमी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी हड़मानराम के बंट में खेत खसरा नंबर 232 रकबा 1.0117 हैक्टर, खेत खसरा नं 233/1 रकबा 2.2258 हैक्टर पुरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

04/8/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद संख्या 62–2020

नाथुराम वगैरह बनाम् सोहनी वगैरह

4. प्रतिवादीगण संख्या 1 विवाहित है अपने ससुराल में निवासरत है जिसके संयुक्त बंट में कोई भूमि नहीं है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्से की भूमिका नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कराने पर मौजा डिडिया कल्ला तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरानं. 193,232,233 / 1,339,63 के संबंध में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जावे।

04/8/2021

(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

जायल (नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखात व मुहर अदालत के आज तारीख ..04/8/2021........ को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

04/8/2021

(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner